

नौ मीटर सड़क पर दी जाए नौ मीटर ऊंचे भवन के निर्माण की अनुमति

बायलॉज और मास्टर प्लान की बैठक में आर्किटेक्ट और ड्राफ्ट्समैन ने दिए सुझाव

माई सिटी रिपोर्टर

देहरादून। आर्किटेक्ट और ड्राफ्ट्समैन से संवाद के लिए एमडीडीए में मंगलवार को खुली बैठक का आयोजन किया गया। आर्किटेक्ट्स ने बैठक में एमडीडीए बायलॉज, मास्टर प्लान समेत कई मुद्रदों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, नौ मीटर की सड़क पर नौ मीटर ऊंचे भवनों को बनाने की अनुमति दी जाए। बायलॉज में प्रत्येक मंजिल के लिए दस फीट का नियम है। लेकिन, अब नए जमाने के मकान बनाने में यह ऊंचाई घटकर 8 फीट पर आ जाती है। इसलिए प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई का पैमाना बढ़ाकर 11 फीट तक किया जाए।

बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव आवास आनंद वर्धन ने की। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने सभी की शंकाओं का समाधान किया। चर्चा के दौरान उत्तराखण्ड इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि 15 दिन में नक्शे पास कराने की समय सीमा का पालन कराया जाए। इस पर अपर मुख्य सचिव आवास आनंद वर्धन ने कहा कि 15 दिन में नक्शे पास नहीं होने पर उन्हें आगे बढ़ाकर मंजूरी दे दी जाए। इस समय सीमा में नक्शा पास कराने की जिम्मेदारी संबंधित अफसरों की होगी।

आर्किटेक्ट्स ने कहा, पिछले कुछ सालों से नक्शों पर इंटरनल बवेरी लगा दी जाती है। लेकिन यह आवेदक को नहीं दिखती और वह आपत्ति का जवाब नहीं दे पाते। इस कारण नक्शा अस्वीकृत हो जाता है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा, ऐसी कोई आपत्ति नहीं लगाई जाए जो आवेदक को न दिखे। बैठक कृषि भूमि पर रिजार्ट बनाने की अनुमति देने और फार्म हाउस बनाने के लिए



एमडीडीए कार्यालय में बैठक को संबोधित करते अपर सचिव आवास आनंद वर्धन। अब उजला

मास्टर प्लान में दर्ज किए जाएंगे सजरे

मास्टर प्लान पर हुई चर्चा में मौजूद लोगों ने कहा कि मास्टर प्लान से शहर के लोग अपनी जमीन, मकान और मोहल्लों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मास्टर प्लान में सजरों को भी दर्ज किया जाए, ताकि हर कोई अपनी जमीन की स्थिति स्पष्ट तौर पर जान सके।

सब डिवीजनल चार्ज जहां से वसूले वहीं करें खर्च

बैठक में आपत्ति आई कि जिस इलाके से अधिक सब डिवीजनल चार्ज लिया जा रहा है, उसे उसी इलाके में खर्च नहीं किया जा रहा। इस पर एमडीडीए उपाध्यक्ष ने इसमें समानता लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा जिस इलाके से चार्ज वसूला जाए, वहीं पर उसे खर्च भी किया जाए।

जगह की बाध्यता को घटाकर 4000 वर्ग मीटर से घटाकर 1500 वर्ग मीटर करने का सुझाव भी दिया गया।

यह सुझाव भी आए

- सेटबैक में रैप के निर्माण की अनुमति दी जाए। रैप को चौड़ाई तीन मीटर तक मान्य की जाए।
- रुफ टॉप पार्किंग का प्रावधान हो।
- नक्शों के संदर्भ में विभिन्न विभागों से दी जाने वाली एनओसी भूमिस्थानी को प्रदान की जाए।
- भवनों की ऊंचाई और एफएआर में संतुलन किया जाए, अभी यह पैमाना संतुलित नहीं है।

ग्रुप हाउसिंग में लागू की जाए शेल्टर फंड व्यवस्था

देहरादून। आर्किटेक्ट्स ने बायलॉज में संशोधन को लेकर कहा कि बायलॉज में बार-बार बदलाव न किया जाए। इससे भवनस्थानियों को काफी समस्या होती है।

बैठक में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट उत्तराखण्ड चैप्टर ने ग्रुप हाउसिंग में शेल्टर फंड की व्यवस्था लागू करने, 25 फीट चौड़ी सड़क पर तीन मंजिला भवन बनाने की अनुमति देने और 500 मीटर प्लाट एरिया पर ग्रुप हाउसिंग को मान्य करने की मांग की। उन्होंने कहा, कंपाउंडिंग फीस ज्यादा है। ऐसे में इसे कम करते हुए ओटोएस स्कीम लागू की जाए।

आर्किटेक्ट गिरभारी अरोड़ा ने कहा कि दून के कई इलाकों को फ्रीज किया गया गया है। इनमें रायपुर, बालाकाला, नथोवाला आदि क्षेत्र हैं। इन इलाकों के नक्शे जमा नहीं होते हैं। सुशील नैथानी ने कहा अगर

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट उत्तराखण्ड चैप्टर ने उठाए कई मुद्दे भूमिस्थानी की जमीन बन विभाग की जमीन से 100 या 50 मीटर दूर है, तो भी नक्शा पास नहीं किया जाता। एनओसी मिलने में देरी पर नक्शा अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस पर प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि एफिडेविट देकर नक्शा पास कराया जा सकता है।

बैठक में पार्किंग में 9 फीट की ऊंचाई मान्य करने, एक हजार मीटर तक के स्टॉट एरिया में 10 फीट का एक रैप बनाने की अनुमति देने की भी मांग उठी। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्रयास किया जाएगा कि शेल्टर फंड की व्यवस्था को अमल में लाया जाए। मा.सि.रि.